बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कार्यालय आदेश

पत्रांक–3/स्था0 मुक0 परामर्श–20/2016–......13–......(3)/रा0, पटना–15, दिनांक–09-01-17

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–422 (3)रा0, दिनांक–16.09.2016 द्वारा विभिन्न प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं प्रभारी अंचल अधिकारियों का स्थानान्तरण विभिन्न अंचलों एवं चकबन्दी कार्यालय में किया गया।

2. समादेश याचिका सं0–16269/2016 अजीत कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक–29.09.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.09.2016 की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करने की कृपा की गयी।

3. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में कतिपय जिलों के समाहर्त्ताओं द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विभाग में योगदान देने हेतु विरमित किया गया एवं समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण द्वारा श्री अरविन्द उद्धव को बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय में योगदान करने हेतु विरमित किया गया।

4. विभाग द्वारा उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभाग में योगदान देने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक अधिसूचना संख्या–422 (3)रा0, दिनांक–16.09.2016 के स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं कार्यालय में अविलम्ब योगदान देने का निदेश देते हुए विरमित किया जाता है :–

(i) श्री बिजेन्द्र कुमार सिंह, (ii) श्री इन्द्रासन साह, (iii) श्री अजय मणि,
(iv) श्री वीरेन्द्र कुमार, (v) श्री सुनील कुमार सिंह।

5. श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी चकबन्दी पदाधिकारी, चैनपुर, कैमूर को अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के प्रशिक्षण एवं अवकाश सुरक्षित पदों के विरूद्ध अपने ही वेतनमान में विभाग में पदस्थापित किया जाता है।

6. समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को निदेशित किया जाता है कि श्री अरविन्द उद्धव, अधिसूचित प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय का योगदान स्वीकृत करें।

06/01/17
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:......13–......(3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09-01-17

प्रतिलिपि:–समाहर्त्ता/समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली, शेखपुरा, सिवान, अररिया, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, कैमूर एवं बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/01/17
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:..........13-..........(3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09-01-17

प्रतिलिपि:–समाहर्त्ता/समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी, लखीसराय को उनके पत्रांक–412/बन्दो, दिनांक–24.11.2016 के संदर्भ में तथा कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/01/17

(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:..........13-..........(3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09-01-17

प्रतिलिपि:–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/01/17

(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:..........13-..........(3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09-01-17

प्रतिलिपि:–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, चकबन्दी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/01/17

(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:..........13-..........(3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09-01-17

प्रतिलिपि:–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने तथा विभागीय वेब–साइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

06/01/17

(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव